राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0
(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)
प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010
दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798e-mail:nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–144 /241/NULM/तीन/2001(EST&P)Vol-II   दिनांकः 20-2-17

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक**
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई/जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश।

विषयः EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के रि–असेसमेंट के संबंध में।

महोदया/महोदय,

DAY-NULM के घटक EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट(प्रमाणीकरण) की कार्यवाही DGT इम्पैनल्ड असेसिंग बाडीस द्वारा RDAT कानपुर के माध्यम से की जा रही है। सूडा के पत्रांक–3103/241/NULM/तीन/2001/EST&P(SDI)AB, दिनांक 06.11.2015 द्वारा प्रशिक्षणार्थियों के असेसमेंट हेतु विस्तृत निर्देश जारी किये गये और इन्ही निर्देशों के अनुसार असेसमेंट की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त निर्देश के प्रस्तुत 8.3 के अनुसार असेसमेंट में असफल प्रशिक्षणार्थियों का अधिकतम 3 बार असेसमेंट(प्रथम असेसमेंट सहित) कराया जा सकता है और असफल प्रशिक्षणार्थियों के पुनः असेसमेंट की लागत(प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 800/) संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदाता(STP) द्वारा असेसिंग बाडी (AB) को भुगतान की जायेगी।

अतः सभी CMMU/DUDA को निर्देशित किया जाता है कि असेसमेंट में असफल प्रशिक्षणार्थियों के रि–असेसमेंट का विवरण Excel फाइल में तैयार कर (पूर्व में जिस तरह से Excel फाइल में उपलब्ध कराया जाता था) मेल के Subject में "Re-Assessment (DCA) under EST&P of SULM, U.P." लिख कर estpnulmup@gmail.com पर 31.03.2017 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

रि–असेसमेंट के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले बैच में न्यूनतम 10 प्रशिक्षणार्थी होने चाहिये, इन 10 प्रशिक्षणार्थियों का बैच कई बैच के प्रशिक्षणार्थियों एवं कई STP के प्रशिक्षणार्थियों को मिलाकर भी बनाया जा सकता है।

असेसिंग बाडीस द्वारा रिजल्ट शीट/प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं बिल/इन्वाइस कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को उपलब्ध कराई जायेगी तत्पश्चात कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा संबंधित असेसिंग बाडीस को रि–असेसमेंट की लागत (उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण प्रति प्रशिक्षणार्थी रू0 800/) उलब्ध कराई जायेगी। CMMU/DUDA द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कौशल प्रशिक्षण प्रदाता को प्रमाण पत्र प्राप्त होने के 6 दिवस के अन्दर असेसिंग बाडीस को भुगतान प्राप्त हो जाये। कौशल प्रशिक्षण प्रदाता द्वारा प्रमाण पत्र/रिजल्ट शीट की प्रतिलिपि एवं असेसिंग बाडीस को किये गये भुगतान का विवरण CMMU/DUDA उपलब्ध कराने के पश्चात ही रि–असेसमेंट किये गये प्रशिक्षणार्थियों के भुगतान की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. निदेशक,(एस0डी0आई0), डी0जी0टी0, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. क्षेत्रीय निदेशक, आर0डी0ए0टी0, कानपुर, उ0प्र0।
4. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
5. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
6. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक